प्रेस विज्ञप्ति

13/08/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली और मुंबई में कई स्थानों पर 12 और 13 अगस्त 2025 को तलाशी अभियान चलाया है। ये अभियान सुश्री संदीपा विर्क और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा हैं, जिन पर गलत बयानी के जरिए अनुचित प्रभाव डालने और झूठे बहाने से पैसे मांगकर व्यक्तियों को धोखा देने का आरोप है।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406 और 420 के तहत पुलिस स्टेशन फेज-8, एसएएस नगर, पंजाब द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि सुश्री संदीपा विर्क ने झूठे वादे और धोखाधड़ी करके अपने नाम पर अचल संपत्ति अर्जित की है। वह hyboocare.com की मालिक होने का दावा करती हैं, जो कथित तौर पर एफडीए - अनुमोदित सौंदर्य उत्पाद बेचने वाली एक वेबसाइट है। हालाँकि, साइट पर सूचीबद्ध उत्पाद अस्तित्वहीन पाए गए हैं। वेबसाइट में उपयोगकर्ता पंजीकरण विकल्प नहीं है और भुगतान गेटवे की समस्याएँ लगातार बनी हैं। वेबसाइट की जाँच करने पर सोशल मीडिया पर बहुत कम सक्रियता, एक निष्क्रिय व्हाट्सएप संपर्क नंबर और पारदर्शी संगठनात्मक विवरणों का अभाव पाया गया, जो सभी गैर-वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि के निष्कर्ष को पुष्ट करते हैं। सीमित उत्पाद रेंज, बढ़ी हुई कीमतें, एफडीए अनुमोदन के झूठे दावे और तकनीकी विसंगतियाँ जैसे कारक, संकेत देते हैं कि वेबसाइट धन शोधन के लिए एक फ्रन्ट के रूप में कार्य करती है।

एक व्यक्ति जिसके साथ सुश्री संदीपा विर्क नियमित संपर्क में थीं, वह पूर्ववर्ती रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व निदेशक अंगाराई नटराजन सेतुरमन हैं, जिनके साथ वह अवैध संपर्क कार्य के संबंध में जुड़ी हुई थीं। सेतुरमन के निवास पर तलाशी ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा, इस तरह की तलाशी कार्रवाई के दौरान व्यक्तिगत लाभ के लिए धन के डायवर्जन का भी पता चला है। 2018 में, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से संबंधित लगभग 18 करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन विवेकपूर्ण उधार मानदंडों का उल्लंघन करके सेतुरमन को संवितरित किया गया था। धनराशि को उन शर्तों के तहत उधार दिया गया था जो मूलधन के साथ-साथ ब्याज को भी स्थगित करने की अनुमति देते थे, कई छूट दी गई थीं और कोई सम्यक अध्यवसाय नहीं किया गया था। इसके अलावा, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों का उल्लंघन करके 22 करोड़ रुपये का गृह ऋण प्रदान किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन ऋणों का बड़ा हिस्सा अंततः गबन कर लिया गया तथा भुगतान नहीं किया गया।

तलाशी अभियान के दौरान, कई अपराध संकेती दस्तावेज़ और रिकॉर्ड ज़ब्त किए गए और फ़ारुख अली सहित प्रमुख व्यक्तियों और सहयोगियों के बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा, सुश्री संदीपा विर्क को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 12/08/2025 को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसने आगे की जाँच के लिए 14 अगस्त 2025 तक ईडी को उनकी हिरासत प्रदान कर दी है।

आगे की जांच जारी है।